फर्द अहकाम

_____ बनाम _____

ख्या /वर्ष : _____ /20 _____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	को दिया गया प्रा.पत्र निरस्त कराया जावे। हमने वादिया के प्रा.पत्र 20.9.21 व 23.9.21 को प्रस्तुत प्रा.पत्र पर गौर किया वादिया स्वयं उपस्थित आकर दिनांक 20.9.21 को स्वयं हमारे समक्ष वाद विड्रो करने की स्वीकृति दी गई परन्तु दिनांक 23.9.21 को वादपत्रों शामिल प्रा.पत्र जो अधिवक्ता देकर किया होना अधिवक्ता वादी मनिका कुमार की प्रा.पत्र पर कहा गया है। वादिया का बयान मिन्न-2 होने एवं पक्के हां फिर ना करने से वादिया के बयान में असत्यता प्रतीत होती है अतः वादीया का प्रथम प्रा.पत्र दिनांक 20.9.21 को दिया गया स्वीकार एवं 23.9.21 को दिया गया प्रा.पत्र अस्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र 20.9.21 स्वीकार कर एवं दिनांक 23.9.21 को दिया गया प्रा.पत्र अस्वीकार कर वाद विड्रो किया जाता उचित है अतः वाद पत्र विड्रो (खारिज) किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से रवाना।	

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

विस्तृत रूप से

28.6.2021 पत्रावली पेश हुई ... कोरोना निवारण ... पत्रावली दिनांक 16.8.2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

16.8.2021 पत्रावली पेश हुई ... कोरोना निवारण ... पत्रावली दिनांक 20.9.2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

20.9.2021 पत्रावली पेश हुई ... R.O. मीटिंग ... पत्रावली दिनांक 27.9.2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

27.9.21 पत्रावली पेश हुई पक्षकार वकील अ.है प्रार्थना पत्र राजीनामा दिनांक 20.9.21 को पेश किया जिसके वादिया ने स्वीकार किया कि राजीनामा के आधार पर वाद विड्रा किया जावे, दिनांक 23.9.21 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे गये प्रार्थना वकला पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 20.9.21 को प्रार्थना पत्र विड्रा (Not-Press) किये जावे प्रा.पत्र 20.9.21 के समक्ष में निवेदन किया है कि वादीगण अपने अधिवक्ता के पास मुकदमे की जानकारी के लिए आई हुई थी परन्तु हमने हमारे अधिवक्ता नहीं मिले परन्तु प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने इस वाद में विड्रो प्रार्थना पत्र पर हमारे हस्ताक्षर अपूर्ण करवा लिए एवं हमारे अधिवक्ता का फोन आया तब हमे जानकारी मिली अतः प्रा.पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 20.9.21

फि. मर्दू

मोनादेवी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Scanned with CamScanner